न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– अपील/08/2015

1. कुशालीदेवी पुत्री स्व. बेगाराम
2. कमलादेवी पुत्री स्व. बेगाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री बेगाराम
2. सुनील पुत्र स्व. रामलाल
3. मनोज कुमार पुत्र स्वत्र रामलाल
4. मोहनी पत्नी स्व. रामलाल
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5. ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी, पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं 291 दिनांकित 25/09/निल
द्वारा ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी, पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–:निर्णयः– दिनांक – 10.05.2018

अपीलांट्स कि ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 एक ही पूर्वज स्व0 बेगाराम पुत्र नानगाराम के उत्तराधिकारीगण है अपीलांट रेस्पो0 संख्या 1 की पुत्री एवं रेस्पो0 संख्या 1 बेगाराम का पुत्र व रेस्पो0 संख्या 02 ता 4 बेगाराम के पुत्र स्व. रामलाल के वारिसान है। स्व. बेगाराम के खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमियों खसरा नम्बर 146/2/1 रकबा 2.82 हैक्टेयर खसरा नम्बर 146/3/1 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसर नम्बर 213/239 रकबा 2.04 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 5.62 हैक्टैयर वाके ग्राम खूड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान की तन में अवस्थित रही है। अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 बेगाराम के जीवनकाल में उनके साथ तथा उनकी मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर उनके उत्तराधिकारीगण रूप में संयुक्त रुप से काश्त करते चले आ रहे है। बेगाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 291 अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 4 उनके विधिक उत्तराधिकारीगण होने के कारण उनके सभी के नाम से खोला जाना चाहिए था। परंतु अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने विरासत का नामांतरकरण संख्या 291 दिनांक 25/9 को केवल मात्र रेस्पो. संख्या 1 ता 4 के खोल रिया गया जिनके बारे में अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 23.08.2015 को अपीलांट अपने खेत की सार सम्भाल करने गई हुई तो रेस्पो. संख्या 1 ने अपीलांट को यह धमकी दी की विवादित भूमि की खातेदारी हमारे नाम से है इस भूमि से आपका कोई संबंध सरोकार नहीं है। जिस पर पूछताछ कर अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तरकरण के बारे में जानकारी कर नकल हेतु हल्का पटवारी से दिनांक 21.08.2015 को संपर्क किया। और नकल दिनाक 24.08.2015 को प्राप्त हुई। तब सर्वप्रथम अपीलाधी नामांतरकरण के बारे में जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

यह कि नामांतरकरण संख्या 291 दिनांक 02.09 विरुद्ध कानून तथा पत्रावली है। यह कि अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 स्व0 बेगाराम के वारिसान है। यह कि अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के कब्जे, काश्त की कृषि भूमियां ग्राम खूडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों की खातेदारी अपीलांट के पिता स्व0 बेगाराम के नाम से थी। बेगाराम की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामांतरकरण अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज होना चाहिए था, परंतु अधिनस्थ ग्राम पंचायत खूडी बडी व हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित रखते हुए केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के नाम नामांतरकरण्ण खोल दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त नामांतरकरण बिना वारिसों की जांच किए हुए होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

यह कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 बेगाराम के जीवन काल में उनके साथ तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारीगण के रूप में संयुक्त रुप से काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम पंचायत खूडी बडी द्वारा बेगाराम की विरासत का नामांतरकरण भरते समय सभी वारिसों के नाम नामांतरकरण नहीं भरकर केवल मात्र रेस्पो0 के नाम से भर दिया गया जो निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy - Not Official

यह कि अपीलाधीन नामांतरकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक को भगरा गया और भू–अभिलेख क्षरा दिनां निल को बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना हस्ताक्षर कर पंचायत नामांन्तरकरण तस्दीक करें का आदेश पारित कर दिया। ग्राम पंचायत ने बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये बिना तथा अपीलांट को किसी प्रका का सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना नामांतरकरण तस्दीक कर दिया गया। उपरोक्त नामांतरकरण रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 व हल्का पटवारी की साजिश से तस्दीक किया गया है, जो किसी भी दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। यह कि उपरोक्त नामांतरकरण मजमें आम में नहीं भरा गया। नामांतरकरण भरते समय अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया उपरोक्त नामन्तरकरण सुख्या 127 लेण्ड रिकार्ड रूल्स के विपरित भरा गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस संबंध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। यह कि अन्य तर्क बहस के समय अर्ज किये जायेंगे। यह कि अपील दो रूपये के न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है तथा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अीपलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 291 दिनांक 25/09/निल निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस रेस्पोंडेंटस को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 5 पर विधिवत तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 कि ओर से उनके अलग–अलग अभिभाषक उपस्थित आये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। रेस्पोंडेंट सं. 3 व 4 की तलबी शेष है। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। कैम्प स्थल पर ही स्व. बेगाराम के विधिक वरिसान बाबत सरपंच ग्राम पंचायत, खुड़ी बड़ी द्वारा वारिस प्रमाण पत्र पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। उपरोक्त समग्र अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण अपील का है जो कि न्यायालय में वर्ष 2015 से लम्बित हे। प्रकरण में उल्लेखित नामान्तकरण को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये ही तस्दीक कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जो कि प्रथत दृष्ट्या विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 291 दिनांक 25/09/निल बाबत ग्राम पंचायत खूड़ी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ को को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजियात में स्व. बेगाराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को केम्प कोर्ट नरोदड़ा मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)